भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 201

दिनांक 02 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

निराश्रित महिलाओं के लिए योजना

201. श्री गजानन कीर्तिकर :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) देश विशेषकर महाराष्ट्र में जिला-वार महिलाओं, विशेषकर विधवाओं, तलाकशुदा और निराश्रितों की संख्या कितनी-कितनी है:

(ख) ऐसी महिलाओं के कल्याण, पुनर्वास, सशक्तिकरण, शिक्षा और रोजगार प्रदान करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा कितनी निधि स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इसके अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) उक्त महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ड.) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस तरह के सांख्यिकीय आंकड़ों का रखरखाव राज्य द्वारा नहीं किया जाता है।

2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र सहित देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की संख्या **अनुलग्नक-I** में है। सरकार निराश्रित महिलाओं सहित महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है, जो इस प्रकार हैं:

शक्ति सदन: व्यापक मिशन शक्ति के तहत, कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए स्वाधार गृह और दुर्व्यापार की रोकथाम के लिए उज्ज्वला गृह का विलय कर दिया गया है और इसे शक्ति सदन योजना के रूप में जाना जाता है, जो दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है। शक्ति सदन योजना विशेष रूप से निराश्रितों और कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं की सहायता के लिए बनाई गई है। यह एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को सीधे ही निधि जारी की जाती है। इसका उद्देश्य संकट की स्थिति में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सक्षम परिदृश्य का निर्माण करना है, ताकि उन्हें कठिन परिस्थितियों से उबरने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना के तहत किराए के परिसर में शक्ति सदन चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश के वृन्दावन में विधवाओं के लिए 1,000 निवासियों की क्षमता वाला आवास स्थापित किया गया है, ताकि रहने की सुरक्षित जगह, स्वास्थ्य सेवाएं, पौष्टिक भोजन, कानूनी और परामर्श सेवाएं प्रदान की जा सकें।

वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), *सखी* सेंटर के नाम से लोकप्रिय है, का उद्देश्य हिंसा (घरेलू हिंसा सहित) से प्रभावित महिलाओं को एक ही स्थान पर पुलिस सुविधा, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और कानूनी परामर्श, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श, अस्थायी आश्रय इत्यादि जैसी एकीकृत सेवाओं की सुविधा प्रदान करना है।

महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) योजना सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल, कानूनी सेवाओं आदि जैसे उचित विभागों से जोड़कर 24 घंटे आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करती है। डब्ल्यूएचएल भी देश भर में महिला कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करने के अतिरिक्त बचाव वैन और परामर्श सेवाओं के साथ संकटग्रस्त महिलाओं की सहायता भी करता है। महिला हेल्पलाइन से सेवाएं प्राप्त करने के लिए महिलाएं 181 शॉर्ट कोड डायल कर सकती हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना: इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की विधवाओं को विधवा पेंशन प्रदान की जाती है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत एक उप-योजना है। इस योजना के तहत केंद्रीय सहायता 40-79 वर्ष की आयु वर्ग की विधवाओं को 300/- रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं और 80 वर्ष की आयु होने पर पेंशन राशि बढ़ाकर 500/- रुपए प्रति माह कर दी जाती है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) एक पूर्ण वित्त पोषित केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका लक्ष्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चिन्हित किए गए निराश्रितों को बुनियादी स्तर की वित्तीय सहायता करना है। एनएसएपी के तहत वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष और अधिक), विधवाओं

(40-79 वर्ष) और विकलांग व्यक्तियों को पेंशन में 200 - 300/- रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के अपने जुड़वां आधार के साथ आयुष्मान भारत कार्यक्रम गरीब और कमजोर परिवारों को कवरेज प्रदान करता है और इससे स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच में सुधार करने में भी सहायता मिलेगी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों में रोजगार प्रदान करना सुनिश्चित करना है जिसमें सर्जित रोजगारों में से कम से कम एक तिहाई महिलाओं को दिया जाना अनिवार्य किया गया। मनरेगा दिशानिर्देशों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं, जिसमें महिलाओं (विशेष रूप से एकल महिलाओं) और वृद्ध व्यक्तियों को उनके निवास के समीपस्थ कार्यस्थलों पर कार्य के लिए प्राथमिकता देना शामिल है। साथ ही 6 वर्ष से कम आयु के पांच से अधिक बच्चे होने पर कार्यस्थल पर बाल देखभाल की सुविधाएं, मनरेगा कर्मचारियों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व, विधवाओं तथा परित्यक्त महिलाओं और निराश्रित महिलाओं को 100 दिन का काम प्रदान किया जाना सुनिश्चित करना शामिल है। जागरूकता और आउटरीच गतिविधियों में सभी मजदूरी करने वाले (महिलाओं सहित) बैंक प्रक्रियाओं को संभालने में सक्षमता सुनिश्चित करना तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को एक विशेष श्रेणी के रूप में मानना और उनके लिए उपयुक्त कार्य का प्रावधान करना इत्यादि भी शामिल है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) को ऐसे असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आरम्भ किया गया है जो किसी अन्य पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसमें महिलाओं सहित असंगठित श्रमिक, अधिकतर घरेलू श्रमिक, सड़क विक्रेताओं, मध्याह्न भोजन श्रमिक, हेड लोडर, ईंट भट्ठा श्रमिकों, मोची, कूड़ा बीनने वाले, फेरी वाले, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य-श्रव्य श्रमिक और इसी तरह के अन्य व्यवसाय में रूप में कार्यरत लोग शामिल हैं जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए प्रति माह या इससे कम है और 18-40 वर्ष के प्रवेश आयु समूह से संबंधित हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) सरकार द्वारा अन्य उद्देश्यों के साथ-साथ स्व-रोज़गार की सुविधा के लिए आरम्भ की गई है। पीएमएमवाई के तहत सूक्ष्म/लघु व्यवसाय उद्यमों और व्यक्तियों को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को स्थापित करने या विस्तारित करने में सक्षम बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण दिया जाता है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-जी): इस योजना का लक्ष्य सभी आवासहीन परिवारों और ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ

पक्के घर के प्रावधान के माध्यम से 'सभी के लिए आवास' प्रदान करना है। इससे उपेक्षित, परित्यक्त और निराश्रित विधवाओं को भी लाभ होगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-यू): इस योजना के तहत, शहरी क्षेत्रों में झुग्गीवासियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई): यह योजना विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों सहित सभी के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है । यह योजना भारत के 18-40 वर्ष की आयु के उन सभी नागरिकों के लिए है जिनके पास बैंक या डाकघर में बचत बैंक खाता है।

वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम: इस योजना का उद्देश्य राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई)/स्थानीय निकायों और बड़े पैमाने पर समुदाय की क्षमता निर्माण के लिए सहायता आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके और सहायता प्रदान करके उत्पादक तथा सक्रिय आयु बढ़ने को प्रोत्साहित करके महिलाओं सहित वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तीन मिशनों, 'मिशन पोषण' 2.0, 'मिशन शक्ति' और 'मिशन वात्सल्य' के तहत महिलाओं और बच्चों की बेहतरी और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करता है।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गयी निधि का विवरण **अनुलग्नक- II** में है। शक्ति सदन के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक-III** में है।

अनुलग्नक-I

माननीय संसद सदस्य (एलएस) श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा निराश्रित महिलाओं के लिए योजनाओं के संबंध में 02.02.2024 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 201 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर के संबंध में अनुलग्नक।

देश में विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की संख्या*

सभी आयु की महिला		
	विधवा	तलाकशुदा
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12525	279
आंध्र प्रदेश	4297481	66691
अरुणाचल प्रदेश	31787	1189
असम	1156042	45722
बिहार	2238793	14760
चंडीगढ़	24496	863
छत्तीसगढ	973787	30871
दादरा एवं नगर हवेली	7378	348
दमन और दीव	6816	249
गोवा	77935	858
गुजरात	2015742	88753
हरियाणा	773297	7720
हिमाचल प्रदेश	293475	4549
जम्मू और कश्मीर	283650	11081
झारखंड	1027878	12672
कर्नाटक	2989429	27959
केरल	2010984	46856
लक्षद्वीप	2448	296
मध्य प्रदेश	2160609	44272
महाराष्ट्र	4520764	154274
मणिपुर	77990	4483
मेघालय	84825	7017
मिजोरम	28569	11068
नागालैंड	39496	4150
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	456613	10805
ओडिशा	1612627	29845
पुदुचेरी	73579	1060

पंजाब	928158	18471
राजस्थान	1983634	23758
सिक्किम	13717	676
तमिलनाडु	3856398	45185
त्रिपुरा	164969	6308
उत्तर प्रदेश	4856188	56819
उत्तराखंड	387215	3922
पश्चिम बंगाल	3792184	125744
योग	43261478	909573

* जनगणना 2011

अनुलग्नक II

माननीय संसद सदस्य (एलएस) श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा निराश्रित महिलाओं के लिए योजनाओं के संबंध में 02.02.2024 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 201 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर के संबंध में अनुलग्नक।

शक्ति सदन

पिछले पांच वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि का विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24***
	आंध्र प्रदेश	0	190.93	0	0	0	146.97
	असम	152.60	143.51	0	0	138.60	646.23
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7.27	7.27	3.96	7.26	0	0
	अरुणाचल प्रदेश	18.05	9.69	10.48	11.83	0	0
	बिहार	0	0	0	0	0	0
	चंडीगढ़	6.64	7.99	8.45	0	26.82	0
	छतीसगढ	30.25	22.95	22.89	20.75	0	100.61
	दिल्ली	16.10	18.38	13.10	0	0	27.84
	हरियाणा	3.39	0	0	0	0	0
	गोवा	0	0	0	2.68	0	0
	गुजरात	0	18.31	15.26	0	0	0
	हिमाचल प्रदेश	0	5.45	3.35	9.13	3.23	39.94
	झारखंड	0	18.17	0	0	0	0
	जम्मू एवं कश्मीर	36.20	38.87	27.76	25.64	0	10.38
	कर्नाटक	274.35	221.67	301.31	639.98	0	0
	केरल	69.59	32.26	71.11	46.02	0	49.46
	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
	मध्य प्रदेश	46.09	162.05	53.01	74.35	23.17	341.51
	मिजोरम	81.09	71.97	0	137.69	0	0

	मणिपुर	424.30	267.08	313.74	0	1062.38	0
	मेघालय	0	0	36.36	20.74	0	0
	नागालैंड	25.69	13.08	0	0	0	0
	ओडिशा	456.79	286.73	642.96	473.83	132.38	246.10
	पंजाब	8.00	9.58	-	-	0	0
	पुदुचेरी	20.06	7.99	21.17	10.80	0	0
	राजस्थान	0	87.19	-	-	0	0
	सिक्किम	6.72	10.64	10.47	10.65	0	4.09
	तमिलनाडु	409.75	160.12	432.35	0	0	445.87
	तेलंगाना	116.09	299.16	205.26	0	0	156.97
	त्रिपुरा	46.23	26.17	84.60	49.28	0	0
	उत्तर प्रदेश	0	0	100.41	90.20	158.25	0
	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
	पश्चिम बंगाल	0	0	155.67	218.84	0	720.35

* जनवरी, 2024 तक

अनुलग्नक III

माननीय संसद सदस्य (एलएस) श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा निराश्रित महिलाओं के लिए योजनाओं के संबंध में 02.02.2024 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 201 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर के संबंध में अनुलग्नक।

शक्ति सदन

लाभार्थियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23*
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	8	9	9	3
2	आंध्र प्रदेश	780	901	433	438	564
3.	अरुणाचल प्रदेश	30	16	22	22	24
4	असम	510	510	242	242	588
5	बिहार	0	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	30	17	8	11	10
7	छत्तीसगढ	90	84	46	52	38
8	दिल्ली	60	33	41	41	59
9	गोवा	0	0	0	0	44
10	गुजरात	120	120	117	117	121
11	हरियाणा	30	0	0	0	0
12	हिमाचल प्रदेश	1	0	9	9	18
13	जम्मू एवं कश्मीर	90	160	27	27	46
14	झारखंड	90	14	18	18	79
15	कर्नाटक	1380	1383	1462	1445	1928
16	केरल	210	473	165	165	162
17	मध्य प्रदेश	240	240	273	273	347
18	महाराष्ट्र	1500	1500	126	126	257
19	मणिपुर	690	664	431	431	1385
20	मिजोरम	330	112	90	88	125
21	मेघालय	60	60	15	15	265
22	नागालैंड	60	60	34	34	23
23	ओडिशा	2340	2340	1667	1667	1950
24	पुदुचेरी	30	30	10	10	0
25	पंजाब	60	30	34	34	24

26	राजस्थान	180	180	18	203	187
27	सिक्किम	30	22	864	18	17
28	तमिलनाडु	1050	1050	389	864	967
29	तेलंगाना	570	831	64	389	423
30	त्रिपुरा	120	120	344	64	83
31	उत्तर प्रदेश	390	390	0	342	385
32	उत्तराखंड	120	120	806	0	17
33	पश्चिम बंगाल	1440	1440	64	802	816
	कुल	**12638**	**12908**	**7828**	**7956**	**10955**

* 01.04.2022 से शक्ति सदन के नाम से जाना जाता है।